प्रेस नोट ***जनपद संकबीरनगर*** ***दिनाँक 17.07.2026***

साइबर अपराध के शिकार हुए पीड़ित को साइबर सेल थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस कराई गई 10000 रु0 की धनराशि

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर सेल थाना कोतवाली खलीलाबाद टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाही करते हुए आवेदक का किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन हैक करके आवेदक के खाते से फ्राड बैंक खाते में स्थानांतरित कर लेने के सम्बन्ध मे आवश्यक कार्यवाही की अपेक्षा किया गया था। उक्त आवेदक का 10000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दिया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- श्री निखिल पाण्डेय पुत्र विरेन्द्रनाथ पाण्डेय निवासी इमिलडीहा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर का दिनाँक 22.04.2026 को आवेदक का किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन हैक करके आवेदक के बैक खाते से फ्राड बैंक खाते में धनराशि स्थानांतरित कर लेने के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली खलीलाबाद मे शिकायत दर्ज कराया गया था। साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात आरक्षी रविकान्त कुशवाहा द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए NCRP पोर्टल पर पंजीकृत की गयी। पुलिस की प्रभावी पैरवी से 10000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी है।

साइबर सेल टीमः- प्रभारी निरीक्षक श्री जयप्रकाश दूबे, अपराध निरीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार यादव (प्रभारी साइबर सेल), का0 रविकान्त कुशवाहा,म0का0 शिवांगी सिंह, रि0का0 अनुज शुक्ला,रि0का0 ऋतिक वर्मा।

अपील- जनमानस से अनुरोध है कि किसी भी अनजान कॉल या ब्लैकमेलिंग के झांसे में न आएं । साइबर ठगी होने पर तत्काल Cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।

कम्युनिटी पुलिसिंग : महुली पुलिस की तत्परता से लापता 75 वर्षीय वृद्ध सकुशल मिले, परिजनों ने व्यक्त किया आभार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में संचालित कम्युनिटी पुलिसिंग अभियान के अंतर्गत थाना महुली पुलिस ने संवेदनशीलता एवं तत्परता का परिचय देते हुए एक लापता वृद्ध को सकुशल खोजकर उनके परिजनों के सुपुर्द किया।

दिनांक 16.07.2026 को प्रातः लगभग 05:00 बजे जगदीश पाण्डेय पुत्र स्वर्गीय सीताराम पाण्डेय, उम्र लगभग 75 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 01, अम्बेडकर नगर, हरिहरपुर, थाना महुली, जनपद संतकबीरनगर, बिना किसी को बताए घर से कहीं चले गए थे। काफी तलाश के बाद भी उनका पता न चलने पर परिजनों ने थाना महुली पुलिस को सूचना दी।

सूचना प्राप्त होते ही थाना महुली के चौकी प्रभारी हरिहरपुर उपनिरीक्षक श्री अशोक कुमार सिंह व आरक्षी विनोद मौर्य ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल खोजबीन प्रारम्भ की। संभावित स्थानों पर तलाश, स्थानीय लोगों से पूछताछ तथा क्षेत्र में सक्रिय खोज अभियान चलाया गया।

महुली पुलिस की सतर्कता एवं अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप दिनांक 17.07.2026 को प्रातः लगभग 09:00 बजे वृद्ध हनुमानगढ़ी, हरिहरपुर के पास सकुशल मिल गए। पुलिस टीम ने उन्हें सुरक्षित उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

अपने परिजन को सकुशल वापस पाकर परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली तथा महुली पुलिस की त्वरित कार्रवाई, संवेदनशीलता एवं मानवीय कार्यशैली की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए पुलिस का हृदय से आभार व्यक्त किया।

महुली पुलिस ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि पुलिस केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा, सहायता एवं विश्वास की रक्षा के लिए सदैव तत्पर एवं प्रतिबद्ध है।

साइबर अपराध के शिकार हुए पीड़ित को साइबर सेल थाना धनघटा पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस कराई गई 57000 रु0 की धनराशि

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर सेल थाना धनघटा टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाही करते हुए आवेदक द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति के झांसे मे आकर अपने खाते से फ्राडर के खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। उक्त प्रकरण के संबंध मे आवश्यक कार्यवाही की अपेक्षा की गयी थी। आवेदक का 57000 रुपये की धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दिया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- आवेदक थाना धनघटा क्षेत्र के निवासी है आवेदक को अपने झासे मे लेकर फ्राडर द्वारा अपने खाते मे आवेदक से पैसे ट्रांसफर कराये गये थे। जिसमे शिकायत दर्ज कराया गया था। साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गयी। पुलिस की प्रभावी पैरवी से 57000 रुपये की धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी है।

साइबर सेल टीम :- प्रभारी निरीक्षक श्री दिलीप सिंह, अपराध निरीक्षक श्री रामेश्वर यादव (प्रभारी साइबर सेल), का0 इन्द्रजीत प्रजापति, रि0का0 मोहित कुमार पाण्डेय,रि0का0 अंकुश कुमार।

अपील- जनमानस से अनुरोध है कि किसी भी अनजान कॉल या ब्लैकमेलिंग के झांसे में न आएं । साइबर ठगी होने पर तत्काल Cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना मेंहदावल पुलिस*** द्वारा मु0अ0स0 294/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता शिवम यादव पुत्र उदयराज यादव निवासी अमरहा थाना धर्मसिंहवा जनपद सन्तकबीरनगर को आज दिनाँक 17.07.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 16.07.2026 को थाना मेंहदावल पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल - उ0नि0 श्री रामवशिष्ठ, का0 अमेरिका प्रसाद।

दबिश के दौरान 09 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त रघुपति पुत्र राआसरे निवासी लहुरादेवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री प्रभांसु कुमार राय, हे0 का0 दीपचन्द्र राजभार, का0 चन्द्रशेखर।

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त शमसुद्दीन पुत्र नूर मोहम्मद निवासी महादेवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री आजम अंसारी, का0 राहुल यादव।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त 01. सनी कुमार पुत्र परशुराम निवासी पैकवलिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर 02. श्रीमती नाजो वेगम पत्नी सुहेल अहमद निवासी केसारी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अमरनाथ यादव, हे0का0 एहतेशाम, म०आ० पुजा जायसवाल, रि०म०आ० पूर्णिमा सिंह रठौर।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त 01. रहमत अली पुत्र राज अली निवासी अमरड़ोभा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 02. गोलू पुत्र स्व0 परशुराम निवासी पसाई थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राममिलन साहनी, उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार सिंह, हे0का0 महेन्द्र शर्मा, का0 राजन खरवार।।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्त 01. चन्द्रिका पुत्र रामजीतन साकिन परसा रामपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर, 02. राजेश्वर यादव पुत्र भग्गन यादव साकिन परसादपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर, 03. दिलीप पुत्र बुद्धिराम ग्राम छितौनी पोस्ट उमरिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री नन्दू गौतम, उ0नि0 श्री रामदुलारे तिवारी, उ0नि0 श्री रामकेवल भारती, उ0नि0 श्री विनोद यादव, हे0 का0 इब्राहिम अली, का0 जितेन्द्र यादव, का0 आजाद कपूर, का0 हरिन्द्र यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6006 द्वारा मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की को सकुशल परिजन को किया गया सुपुर्द– पीआरवी 6006 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत चन्दवापार से कालर द्वारा सूचना दिया गया कि एक अज्ञात लड़की मिली है,लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नही है, (मनीषा उर्फ उषा पुत्री अशररफी उम्र 25 वर्ष सा0 अमरडोभा थाना मेहदावल जनपद सन्तकबीकनगर) जिसके सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर अज्ञात लड़की के सम्बन्ध में चौकी बघौली थाना कोतवाली खलीलाबाद के आदेशानुसार महिला को उसके मायके में पिता अशरफी पुत्र भोजई सा0 अमरडोभा थाना मेहदावल जनपद सन्तकबीरनगर और गांव के ग्राम प्रधान श्यामसुन्दर पुत्र श्रीराम और मायके पड़ोसी जितेन्द्र पुत्र रामप्यारे पता उपरोक्त के सामने महिला के सकुशल उसके पिता को सुपुर्द किया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से अज्ञात लड़की को पीआरवी की सहायता से उसके घर पहुँचाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 दिलीप कुमार यादव, म0मु0आ0 नीलम सिंह, हो0गा0चा0 रामकृष्ण मौर्या।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 257 वाहनों से 3,27,000 रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 17.07.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 257 वाहनों से 3,27,000 रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना दुधारा पुलिस की बड़ी कार्यवाही- *₹25,000/- का इनामी और गैंगस्टर एक्ट में वांछित शातिर अभियुक्त अभिषेक अग्रहरि गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद सन्तकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के कुशल निर्देशन,अपर पुलिस अधीक्षक *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत, आज दिनांक 17.07.2026 को थाना दुधारा पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना दुधारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 62/2026 धारा 2(b)(ii), 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 (गैंगस्टर एक्ट) थाना कोतवाली खलीलाबाद से सम्बन्धित ₹25,000/- के इनामी/वांछित अभियुक्त को नौवागांव पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अभिषेक अग्रहरि पुत्र धर्मेन्द्र अग्रहरि निवासी ग्राम गुदी थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थानाध्यक्ष दुधारा श्री अमित कुमार कुशवाहा, उ0नि0 श्री सतीश तिवारी,हे0का0 जयचन्द्र कनौजिया,हे0का0 मोती लाल यादव,हे0का0 राघवेन्द्र सिंह,रि0का0 विजय प्रताप,का0 रंजन राजभर,का0 राजा सिंह (चालक)

वापसी उ0नि0 व दाखिला एक नफर अभियुक्त सम्बन्धित मु0अ0स0 294/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस

मै उ0नि0 रामवशिष्ठ मय हमराह आरक्षी अमेरिका प्रसाद के रवाना शुदा रो0 आ0 तारीखी इमरोजा बाद विवेचना मु0अ0स0 294/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस से वापस थाना आया विवरण कार्य इस प्रकार है मै उ0नि0 मयहमराह आरक्षी के मुकदमा उपरोक्त की विवेचना से उपस्थित थाना आया कि मुकदमा उपरोक्त में पूछ ताछ हेतु तलबिदा श्रीमती डोमा देवी पत्नी उदयराज यादव निवासी अमरहा थाना धर्मसिंहवा जनपद सन्त कबीर नगर मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त /अपने पुत्र शिवम यादव उम्र 19 वर्ष के साथ उपस्थित थाना आयी नामित अभियुक्त शिवम यादव से पूछ ताछ किया गया पूछ ताछ के दौरान शिवम उपरोक्त नें पीडिता विनिता को शादी के लिए बहला फुसला कर भगा ले जाने की बात स्वीकार किया गया है अभियुक्त को मु0अ0स0 294/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस में नामित अभियुक्त बताते हुए बयान के आधार पर नामित अभियुक्त शिवम यादव पुत्र उदयराज यादव निवासी अमरहा थाना धर्मसिंहवा जनपद सन्त कबीर नगर उम्र 19 वर्ष को अपराध का बोध व गिरफ्तारी का कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 11.05 बजे हमराह कर्मचारी के सहयोग से मा0 उच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेश निर्देशो का पालन करते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया हमराह कर्मचारी व सन्तरी प्रहरी से जामा तलाशी लिवाया गया न होने कोई शय वस्तु बरामद अलावा पहने कपडो के को अन्दर हवालात मर्दाना किया गया जो पहले से खाली व साफ है अभियुक्त गमे गिरफ्तारी खुराख खाने से मुन्किर है हस्व ख्वाहिस खुराक दी जायेगी। ताला हवालात मर्दाना बन्द ठीक है गिरफ्तारी के समय अभियुक्त की माँ थाना मौजूद रही जिन्हे अपराध व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। विस्तृत विवरण जरिये सी0डी0 प्रेषित होगी। एसडी उ0नि0 रामवशिष्ठ।

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में 01 अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व कुल 8,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 17.07.2026 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा व कुल 8,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है-

घटना विवरणः-

दिनाँक 17.07.2018 को वादी मुकदमा द्वारा थाना बखिरा पर अभियुक्त राकेश उर्फ ट्राली वर्मा पुत्र लालमन वर्मा निवासी ग्राम परतिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। क्षेत्राधिकारी मेहदावल श्री आनन्द कुमार पाण्डेय द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

अभियुक्त राकेश उर्फ ट्रॉली वर्मा को विशेष सत्र परीक्षण संख्या 0425/2018, मु0अ0सं0 0353/2018, थाना बखिरा, जनपद संत कबीर नगर के मामले में आरोप अंतर्गत भा.दं.सं. की धारा 363, 376(2) (झ) एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है, परंतु अभियुक्त उपरोक्त को विशेष सत्र परीक्षण संख्या के मामले में अंतर्गत धारा 366 भा.दं.सं. एवं धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

दोषसिद्ध अभियुक्त राकेश उर्फ ट्रॉली वर्मा को अंतर्गत 01. धारा 376(2) (झ) में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹5,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का साधारण कारावास भोगना होगा।

02. धारा 363 भा.दं.सं. में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹3,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास भोगना होगा।